खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक – .... / न0 नि0

सेवा में

श्री ....आतुल तेगुजल सिन्हा....

पिता / ~~x~~ – ....श्री ललित अमर कुमार सिन्हा,

पता – ....सिम्फर कॉलोनी, बरवा रोड, धनबाद।

धनबाद, दिनांक ....

विषय : आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केष न0 बी0डी0....312/15-16 संबंधी आपके आवेदन दिनांक ....4.8.15.... के संबंध में।

महाशय

आपके आवेदन, दलील संख्या – ....4037.... दाखिल खारिज अभिलेख संख्या ....1452 ||| 14-15 .... जमाबंदी संख्या ....5404.... से निर्गत लगान रसीद वर्ष ....15-16.... की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी0 डी0 केश न0....312/15-16.... के नक्शो की स्वीकृति प्रबंध निदेषक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है। निदेषानुसार सूचित करना है कि ....धैयT-06.... मौजा अन्तर्गत खाता न0 ....92.... प्लॉट न0 ....682.... रकबा ....1806.05वर्गफीट.... भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री ....अशोक कुमार.... की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शो के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशाक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिशिचत करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थपित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वींकृत आदेश राज्य सरकार / नशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में ....25/-.... / कुल रू0 ....3100/-.... जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियंता स्थल जॉचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही आगे का निर्माण कार्य जारी रहेंगे।

ह0

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

ज्ञापांक – डी0पी0 ....1200.... / नगर निवेशन, दिनांक ....5/1/16....

प्रतिलिपि – श्री ....अशोक कुमार.... लाईसेंसी अभियन्ता, धनबाद।

प्रतिलिपि – सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

5/01/16

कार्यपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद।

Received attested Plan
18/01/16

L.S. धनबाद 5/1/16 5/1/16